

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5852/

जबलपुर, दिनांक 10 / 11 / 2022

श्री अशोक कुमार बाल्मिक, कोर्ट अटेंडेन्ट (अशर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 29.08.2022 से 03.09.2022 तक 6 दिवस बिना अनुमति के अवकाश का उपभोग करने एवं कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत न करने के कारण उक्त 6 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही / -

(विकास चन्द्र मिश्रा)


रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/5853/

जबलपुर, दिनांक 10 / 11 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना / लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका / अवकाश / प्रोटोकॉल / वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री अशोक कुमार बाल्मिक, कोर्ट अटेंडेन्ट (अशर), यूनिक कोड नं. 180009219, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5854...../

जबलपुर, दिनांक 18 / 11 / 2022

दो-13-41/22

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 के आलोक में श्री मोहनलाल, स्वीपर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सेवानिवृत्त दिनांक 31/05/2022 पर पात्रतानुसार कुल 187 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही/-
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्र. C/5855...../


जबलपुर, दिनांक 18 / 11 / 2022

दो-13-41/22

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. श्री मोहनलाल, सेवानिवृत्त स्वीपर, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
पता- 2058, ओम किराना के पास, दुर्गानगर, रामपुर, जबलपुर
मो. 6260441653

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


16-11-22
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5856 /

जबलपुर, दिनांक 18 / 11 / 2022

II-13-48/22

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019 के आलोक में श्री मोहम्मद मुनवर शेख, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को उनकी सेवानिवृत्त दिनांक 30/09/2022 पर पात्रता अनुसार 232 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही / -

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

क्रमांक C/5857 /

जबलपुर, दिनांक 18 / 11 / 2022

II-13-48/22

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2779/लेखा/2022 इंदौर, दिनांक 12/10/2022 के संदर्भ में श्री मोहम्मद मुनवर शेख, सेवानिवृत्त अशर का गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न :- अवकाश लेखा।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



16-11-22

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)